BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 सितम्बर; 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू पुत्र कलुआ निवासी धमेड़ा अड्डा नया गांव थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी कलवा सिंह पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम धमेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर के पोते जयदेव (उम्र करीब-01 वर्ष) को घर के दरवाजे पर पटक कर जान से मारने के प्रयास की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.09.2022 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-809/2022 धारा- 307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 04.12.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.09.2024 को न्यायाधीश श्री विवेक कुमार प्रथम (मा0 न्यायालय एडीजे-14/स्पेशल ईसी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोनू उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव कुमार अधाना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर।